6. ग्रामणी - ग्राम का प्रधान 7. स्पशी - गुप्तचर
8. दूत - सूचना संप्रेषण कर्ता 9. पुरप - दुर्ग का अधिकारी।

प्रशासनिक इकाई

ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कुल या गृह (परिवार) होता था। उसके ऊपर ग्राम होता था। ग्राम के ऊपर 'विश' तथा सबसे ऊपर 'जन' होता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार जबकि जनपद शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। विश शब्द की चर्चा 170 बार हुई है

न्याय व्यवस्था

इस काल का सबसे बड़ा अपराध पशु-चोरी को माना जाता था। हत्या का दण्ड द्रव्य के रूप में दिया जाता था। उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या का दंड द्रव्य के रूप में 100 गायों तक किया जाता था। वरदेय (बदला चुकाने की प्रथा) का प्रचलन था।

चिकित्सा

वैद्य को भीषक कहते थे। अश्विन देवता थे। उन्होंने परावृज का अंधापन दूर किया तथा च्यवन ऋषि को पुनः जवान बना दिया। विश्पला के कृत्रिम पैर लगाए।